न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 176/2022 दायर दिनाँक 18.05.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. सुनिल उर्फ अमरचन्द पुत्र रामदीन उम्र 35 वर्ष निवासी छापरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी सुनिल पुत्र रामदीन जाति बनिया मेघवंशी निवासी छापरी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 कब्जा सुद व वसीयत से प्राप्त सुदा भूमि खसरा सं0 252 रकबा 2.3900 हैक्टे0 की ग्राम छापरी कलां में अवस्थित है।

यह है कि वादी सुनिल का मूल नाम सुनिल ही है। परन्तु घर परिवार में मित्रगण आदि बाल्याकाल से ही उसे अमरचन्द के नाम से भी प्यार से पुकारते रहते थे। इसलिए आमजन में वादी सुनिल का प्रचलित नाम अमरचन्द भी रहा है। जबकि मूल नाम सुनिल पुत्र रामदीन जाति बनिया मेघवंशी छापरी कलां है। इसी अनुरूप वादी सुनिल का परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पेन कार्ड आदि है। यही नही उसके शैक्षिक दस्तावेज में भी यही नाम है। ग्राम पंचायत छापरी कलां द्वारा 4.07.2020 का जारी प्रमाण–पत्र भी इसी नाम से है। वादी का नाम अमरचन्द केवल घर परिवार तक सीमित है। परन्तु वादी सुनिल एवं उपनाम अमरचन्द दोनो एक ही व्यक्ति है और दोनो नामो से उसका समान हित है और दोनो ही नामों से परिवार व निकटतम रिश्तेदारों में जाना व पहचाना जाता है।

यह है कि एक जीवणराम पुत्र गुलाराम मेघवाल निवासी छापरी कलां तहसील डीडवाना में वादी सुनिल उर्फ अमरचन्द के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत दिनांक 16.09.1991 निष्पादित की। जिसका पंजीकरण दिनांक 25.09.1991 को किया गया। उक्त वसीयत में सदभावी टंकण भूल से वादी सुनिल उर्फ अमरचन्द को वसीयतकर्ता जीवणराम का दत्तक पुत्र बताकर निष्पादित कर दिया गया। यद्यपि उक्त जीवणराम ने उक्त वर्णित वसीयत तो पूर्ण रूप से वादी सुनिल उर्फ अमरचन्द के पक्ष में ही निष्पादित की थी। परन्तु सदभावी टंकण भूल से वादी को उक्त निष्पादनकर्ता जीवणराम का दत्तक पुत्र बता दिया जबकि उक्त जीवणराम वादी का पिता रामदीन का चाचा ताऊ होकर रिश्ते में दादा लगता था। उक्त वसीयत तो वादी के पक्ष में सही है। परन्तु वादी के [illegible] रामदीन के पिता के नाम पर सदभावी टंकण भूल से वादी के [illegible] किसी भी किसी स्थान पर दत्तक पुत्र रामदीन दर्ज हो गया। जबकि [illegible] था। भी रूप में या किसी नाम से उक्त जीवणराम के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि खसरा सं0 252 रकबा 2.3900 हैक्टे0 ग्राम छापरी कलां के काश्तकार के नाम कि प्रविष्टि "अमरचन्द दत्तक पुत्र जीवणराम सा0 देह खातेदार" की उक्त प्रविष्ट को हटाकर व संशोधित कर काश्तकार के नाम के स्थान पर "सुनिल उर्फ अमरचन्द पुत्र रामदीन हिस्सा पूर्ण जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार" के नाम से प्रविष्टि करने की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी करने की डिक्री वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध जारी करने की कृपा करावे तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख में संशोधित कर वादी को उक्त रूप से "सुनिल उर्फ अमरचन्द पुत्र रामदीन मेघवंशी0सं0 निवासी छापरी कलां" के नाम उक्त खसरा सं0 252 रकबा 2.3900 हैक्टे0 ग्राम छापरी कलां की खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी का पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे सामिल मिसल किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 – जमाबन्दी खतौनी संम्वत 2048–2051, प्रदर्श–2 जमाबन्दी खेवट/खतोनी संवत 2078, प्रदर्श–3 ग्राम पंचायत, छापरी कलां की रिपोर्ट, प्रदर्श–4 वादी का राशन कार्ड, प्रदर्श–5 आधार कार्ड,, प्रदर्श–6 वोटर आई.डी, प्रदर्श–7 कक्षा 8 की अंक तालिका, प्रदर्श–8 पैन कार्ड, प्रदर्श–9 वसीयतनामा प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा छापरी कलां के खसरा सं0 252 रकबा 2.3900 हैक्टे0 की भूमि में अमरचन्द दत्तक पुत्र जीवणराम के स्थान पर सुनिल पुत्र रामदीन राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.08.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 176 / 2022 दायर दिनाँक 18.05.2022

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. सुनिल उर्फ अमरचन्द पुत्र रामदीन उम्र 35 वर्ष निवासी छापरी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. राजस्थान सरकार तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 23.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थोरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा छापरी कलां के खसरा सं0 252 रकबा 2.3900 हैक्टे0 की भूमि में अमरचन्द दत्तक पुत्र जीवणराम के स्थान पर सुनिल पुत्र रामदीन राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner